तारीख हुक्म

APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत........उपखण्ड अधिकारी........मुकाम........कोटा........
........किशोर सिंह........बनाम........सरकार........
किस्म मुकदमा........136........नं. ....161........सन्........2025........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/12/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थीगण के खाते कब्जे काश्त की आराजी हाल सेटलमेन्ट से पूर्व के खसरा नं0 786 रकबा 10 बिस्वा, 787 रकबा 10 बिस्वा, 788 रकबा 16 बिस्वा, 789 रकबा 17 बिस्वा, व खसरा नं0 790 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा कुल 5 किता की 5 बीघा 17 बिस्वा आराजी वाके ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण के द्वारा उक्त आराजी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.07.75 से तत्कालीन खातेदार मथुरी बेवा नात्या जाति माली निवासी नान्ता से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था, तब से पूर्ववत यथावत निर्बाध रूप से प्रार्थीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आरांजी में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सेटलमेन्ट कार्य किया गया तथा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रार्थीगण की आराजी के पुराने खसरा नं0 786, 787, 789, 790 के नये खसरा नं0 1118, 1116, 1087, 1090 व 1115 कुल 5 किता रकबा 0.83 है0 कायम किया गया, जो गत रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा अर्थात 0.94 है0 आराजी के मुकाबले 0.11 है0 कम दर्ज रिकार्ड किया गया। उक्त रकबे को रिकार्ड में कम दर्ज करने का सेटलमेन्ट विभाग को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है और सेटलमेन्ट विभाग का उक्त कृत्य शुरू से ही प्रभाव शून्य है, जो दुरूस्त होने योग्य है। तथा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त आराजी के पुराने खसरा नं0 788 रकबा 16 बिस्वा का सेटलमेन्ट के पश्चात कोई नया नम्बर कायम नहीं किया गया तथा उक्त खसरा नं0 का रकबा किसी अन्य खसरा नं0 के रकबे रिकॉर्ड में मिला दिया गया, जबकि प्रार्थीगण उक्त आराजी पर पूर्ववत यथावत सम्पूर्ण रकबे पर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है, इसलिए प्रार्थीगण को कानूनी अधिकार प्राप्त है कि सेटलमेन्ट विभाग की उक्त रिकॉर्ड में की गई त्रुटी को व कमी रकबे की पूर्ति माननीय न्यायालय से करावे। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के खाते कब्जे काश्त की आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व ख0नं0 786, 787, 788, 789, 790, कुल 5 किता की रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा अर्थात 0.94 है0 जिसके हाल सेटलमेन्ट बाद नये खसरा नं0 1118, 1116, 1087, 1090, 1115 कुल 5 किता रकबा 0.83 हैक्टर अर्थात 0.11 है0 कमी रकबे के पूर्व रकबे अनुसार पूर्ति कर दुरूस्त कर रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश प्रदान करें।	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

हमने पत्रावली व संबंध दस्तावेजों का अद्योपान्त अध्ययन किया तथा बहस पर गभीरता पूर्वक मनन किया।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों से प्रमाणित है कि सेटलमेन्ट से पूर्व वादी के खाते में कुल किता 5 कुल रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा आराजी स्थित थी। संलग्न तहसील रिपोर्ट अनुसार उक्त रकबे का मैट्रिक प्रणाली में 0.94 है0 बनता है। लेकिन भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेन्ट उपरान्त कुल रकबा 0.83 है0 दर्ज किया गया।

तहसील रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया है कि भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा गत खसरा नं0 788 का कोई नवीन खसरा नम्बर नहीं बनाया गया है तथा नक्शे में गत खसरा नं0 788 को नवीन खसरा नं0 1087 में सम्मिलित कर दिया गया है इसी कारण खसरा नं0 1087 का रकबा जमाबन्दी मे तो 0.21 है0 दर्ज किया गया है। लेकिन नक्शे की रकबा बरारी करने पर रकबा 0.32 है0 आता है। इस कारण राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) मे तो वादी का रकबा 0.83 है0 दर्ज है, लेकिन राजस्व नक्शे की रकबा बरारी करने पर तथा मौके पर रकबा 0.94 है0 ही आता है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि राजस्व नक्शे को देखने मात्र से यह प्रमाणित हो जाता है कि गत खसरा नं0 788 को नक्शे मे तो नवीन खसरा नं0 1087 में मिला दिया गया है लेकिन गत खसरा नं0 788 का रकबा जमाबन्दी में 1087 में नहीं जोड़ा गया है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह भी कथन है कि वादी नक्शानुसार अपने पूर्ण रकबे 0.94 है0 पर काबिज काश्त है, अतः सेटलमेन्ट पूर्व के रकबे तथा वर्तमान नक्शे अनुसार ख0नं0 1087 का रकबा 0.32 है0 दर्ज किया जावे।

तहसील रिपोर्ट सेटलमेंट पूर्व व वाद के नक्शों के प्रथम दृष्टतया अवलोकन से यह प्रमाणित है कि दौराने सेटलमेन्ट गत खसरा नं0 788 का नवीन खसरा नं0 नहीं बनाया गया तथा गत खसरा नं0 788 का रकबा मौके पर तथा राजस्व नक्शे में नवीन खसरा नं0 1087 में सम्मिलित कर दिया गया है। लेकिन गत खसरा नं0 788 के रकबे को जमाबन्दी में वर्तमान खसरा नं0 1087 में नहीं जोड़ा गया है। इसी कारण खसरा नं0 1087 का रकबा जमाबन्दी मे तो 0.21 है0 दर्ज किया गया है लेकिन राजस्व नक्शे में रकबा बरारी करने पर ख0नं0 1087 का रकबा 0.32 है0 आता है। उक्त परीस्थितियों मे हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार कर आदेश दिए जाते है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 1087 का रकबा 0.21 है0 के स्थान पर 0.32 है0 दर्ज किया जावे तथा गॉव का रकबा प्रभावित ना हो, इस हेतु समीपवर्ती रास्ते या नहर के रकबे में से 0.11 है0 रकबा कम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा